तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/5/23	[illegible] की बाबत अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क व साथ ही इसी बाबत अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किया कि इस पक्षकारान द्वारा आपस में समझौता कर लिया है इसलिए आपस में अब कोई विवाद नहीं है अतः प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं अतः प्रकरण वापिस लेना चाहते हैं इसलिए प्रकरण खारिज करें। प्रार्थना पत्र लेख का इसलिए पढ़कर सुनाया। सुन व समझ कर स्वीकार स्वीकार किया। जिसकी पहचान व सुनवाई अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रकरण इसी तरह पर किसी किस्म की रंजिश न होने से आपस में समझौता किया किया जाता है प्रकरण नस्तर से खारिज किया जाता है। फाइल तकमील तामील करके दफ्तर हो।